UPPG010047292026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)
JO Code–UP 6467
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1939/2026

सुभान उर्फ छंगा आयु 25 वर्ष, सुत उस्मान,
निवासी खैराना, पहाड़ीमऊ, थाना महाराजगंज, जिला रायबरेली।
.......आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश
.......विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–250/2026
धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़

दिनांकः–22.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **सुभान उर्फ छंगा** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–250/2026, धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना– कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रतापगढ़ द्वारा निरस्त हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे हैरान व परेशान करने के लिए झूंठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। तथाकथित बरामदगी फर्जी है। आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है, न ही प्रस्तुत हुआ है और न ही निरस्त हुआ है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।
2. इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने कहा कि जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
4. फर्द बरामदगी/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक–30.04.2026 को उ0 नि0 अमित सिंह मय हमराहियान देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेंकिग/तलाश भगवा चौराहे पर मामूर था कि मुखबिर खास की सूचना पर गोपालापुर मुर्गी फार्म के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूंछने पर अपना नाम सुभान उर्फ छंगा बताया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी से 05 अदद नाजायज जिन्दा देशी बम बरामद किया गया।
5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के पास से ५ अदद नजायज देशी जिन्दा बम बरामद होना बताया गया है। अभियुक्त की ओर से जमानत शपथ पत्र में कहा

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.22 17:19:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जबकि थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या –356/2022, थाना– मिलएरिया, जनपद– रायबरेली, मुकदमा अपराध संख्या–257/2022, थाना– मिलएरिया, जनपद– रायबरेली एवं मुकदमा अपराध संख्या–244/2023, थाना– भदोखर, जनपद– रायबरेली में संलिप्त होना बताया गया है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्त का व्यक्ति है। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

6. आवेदक/अभियुक्त **सुभान उर्फ छंगा** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–250/2026, धारा– 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना– कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ **निरस्त** किया जाता है।

दिनाँक : 22.07.2026

अभयराज/– स्टेनो

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
J.O. CODE-UP 6467